राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ज्वारी देवी बनाम बिरदीचन्द

तारीख हुक्म	424/2022, 425/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 425/2022 व 424/2022 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां रेस्पो. की बहस हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/12/2025 को पेश हो।	
08/12/25	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2018 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 365, 376 किता-2 का कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम लालपुरा, तहसील चौमू का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त, मकानात, रहवास को ध्यान में रखते हुये एवं सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/11/2021 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयांगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 425/2022 उनवानी ज्वारी देवी बनाम बिरदीचंद एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/11/2021 के विरुद्ध अपील संख्या 424/2022 उनवानी ज्वारी देवी बनाम बिरदीचंद प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस अपीलों पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से उसमे कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिन्हें तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर रोका	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ज्वारी देवी बनाम बिरदीचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2018 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/11/2021 विधिसम्मत एवं उचित प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 424/2022 एवं 425/2022 ख़ारिज की जाती है | निर्णय की एक-एक प्रति दोनों दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर